राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 51 / 2022 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी – पिरामल केपिटल एण्ड हाऊसिंग फाईनेंस लि0 शाखा कार्यालय 302/5 थर्ड फ्लोर, जयपुर टावर एम आई रोड, जयपुर

–– प्रार्थी

बनाम

1. श्री बाबूलाल जांगीड निवासी प्लॉट नंबर 749, चारभुजा चौराहा, हुरड़ा जिला भीलवाड़ा
2. श्रीमती विमला देवी निवासी प्लॉट नंबर 749, चारभुजा चौराहा, हुरड़ा जिला भीलवाड़ा

––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

प्राधिकृत अधिकारी– श्री मुकेश कुमार यादव

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक : 27.07.2022

प्राधिकृत अधिकारी, पिरामल केपिटल एण्ड हाऊसिंग फाईनेंस लि0 शाखा कार्यालय 302/5 थर्ड फ्लोर, जयपुर टावर एम आई रोड, जयपुर की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया गया, जिसमें उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी जिसमें अप्रार्थी को 20,16,930/– रूपये का ऋण दिनांक 21.08.2015 को स्वीकृत किया गया। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर भूमि व भवन जो अचल सम्पति – खाता संख्या 153 आराजी संख्या 1596/1 हुरड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार) रहन रखी गयी। दिनांक 31.05.2021 तक कुल बकाया ऋण की राशि 19,71,685/– रूपये है। अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया, परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को 12.05.2021 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है, जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये शपथ–पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं:–